फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बड़गॉव, उदयपुर

प्रार्थीः— कृष्ण गोपाल | विपक्षीः— ज्योती

किस्म मुकदमाः—प्रार्थना पत्र 212 पत्रावली संख्याः— 134/19 | सनः— 2019

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	06.01.20 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण लम्बे समय से जवाब में नियत होकर जवाब प्रस्तुत करने हेतु कई अवसर दिये गये परन्तु आदिनांक तक विपक्षीगण का जवाब अपेक्षित हैं। अतः विपक्षीगण के जवाब अवसर बन्द किये जाते हैं। प्रकरण में आज उपस्थित प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम रूपनगर की आराजी संख्या 3671, 3676, 3710 कुल किता 3 रकबा 0.6300हैक्टर भूमि में प्रार्थी का 550/12600 वां हक व हिस्सा है तथा उक्त आराजीयात में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 8 सहखातेदार काश्तकार हैं। आराजी संख्या 3692 रकबा 0.1900 हैक्टर भूमि में प्रार्थी का 1/12वां हक व हिस्सा है तथा विपक्षीगण का भी जमाबन्दी अनुसार हक व हिस्सा निहित हैं। उक्त आराजीयात में प्रार्थी व प्रतिवादी संख्या 5 से 13 काश्तकार दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा एक वाद घोषणा, बंटवाड़ा एंव स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन हैं। प्रकरण में दिनांक 27.09.16 को उभयपक्ष के विरूद्ध आगामी सुनवाई दिनांक तक के लिये मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई थी। अतः न्यायालय द्वारा पुर्व में जारी आदेश दिनांक 27.09.16 के अनुसार मौजा रूपनगर पटवार हल्का भुवाणा की हाल आराजी संख्या 3671, 3676, 3710 कुल किता 3 रकबा 0.6300हैक्टर एवं आराजी संख्या 3692 रकबा 0.1900 हैक्टर भूमि पर उभयपक्ष के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ताफैसला वाद तक मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद किता शुमारी दाखिल दफ्तर हो। डॉ. मंजु (आई.ए.एस.) **उपखण्ड अधिकारी** **बड़गॉव, उदयपुर**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2020.02.25 15:33:49
IST
Reason: SelfAttested